न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी—मांगीलाल आर.ए.एस.

वादपत्र अन्तर्गत धारा:—88 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्या:—85 / 2020

रिशु पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 19 वर्ष निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री रणजीत जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गोपीराम पुत्र श्री रणजीत जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. श्यामलाल पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. रोशनी देवी पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. संतोष पुत्री श्री गोपीराम पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी साहुवाला द्वितीय तहसील चोपटा जिला सिरसा।
6. भीमसैन पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. राधा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. मंजू पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी सुनील कुमार जाति जाट निवासी 11—12 एस. एल.डब्लयू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. शारदा पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. दयाराम पुत्र श्री रणजीत जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
11. विद्या देवी पत्नी श्री रणजीत जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

उपस्थित—श्री विकास शर्मा अधिवक्ता वादी

श्री कुन्दन लाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :– 05.01.2021

इस वाद के निस्तारण हेतु तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वंशावली सहित वाद इन तथ्यों के साथ पेश किया कि प्रतिवादी स0 1, 2, 10 व 11 के नाम तहसील टिब्बी के अधिनस्थ चक 654 आर.डी. के खाता स0 241 में कुल 7.084 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा (प्रत्येक के नाम 1/16 हिस्सा) व इसी चक के खाता 206 में कुल 1.265 हैक्टेयर में कुल 1/4 हिस्सा (प्रत्येक के नाम 1/16 हिस्सा), इसी चक के खाता स0 205 में कुल 3.036 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा (प्रत्येक के नाम 1/16 हिस्सा), इसी चक के खाता स0 185 में कुल 1.518 हैक्टेयर में 0.379 हैक्टेयर (प्रत्येक के नाम 379/6072) तथा इसी चक के खाता स0 240 में प्रतिवादी स0 1 के नाम कुल 1.012 हैक्टेयर में 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है वाद पत्र के साबित करने के लिए जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है प्रतिवादीगण की उपरोक्त भूमि पैतृक सम्पति हैं व उक्त भूमि वादी के दादा–पड़दादा से प्राप्त हुई है उक्त भूमि में वादी का जन्मजात अधिकार है यह कि अर्सा समय पूर्व प्रतिवादी स0 1, 2, 10 व 11 ने उक्त भूमि का बंटवारा वादी व प्रतिवादी स0 2 व 3 को बांटकर मौखिक रूप से विभाजन किया था उक्त बंटवारा के बाद वादी व प्रतिवादी स0 2 व 3 उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी–अपनी भूमि के खातेदार काश्तकार है। बंटवारा में वादी को चक 654 आर.डी के खाता स0 206 में अंकित 1.265 हैक्टेयर भूमि में से 0.094 हैक्टेयर भूमि व खाता स0 205 में अंकित 3.036 हैक्टेयर भूमि में से 0.759 हैक्टेयर भूमि व खाता स0 185 में अंकित 1.518 हैक्टेयर भूमि में से 0.379 हैक्टेयर भूमि व खाता स0 240 में अंकित 1.012 हैक्टेयर भूमि में से 0.253 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 1.485 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी स0 2 व 3 को चक न0 654 आर.डी. के खाता स0 241 में अंकित 7.084 हैक्टेयर भूमि में से 1.771 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता स0 206 में अंकित 1.265 हैक्टैयर भूमि में से 0.222 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 1.993 हैक्टेयर भूमि व0हि0ब0 प्राप्त हुई है। उक्त अनुसार खाता स0 241 में प्रतिवादी संख्या 1, 10, 11 व खाता स0 206 में प्रतिवादी स0 1, 10, 11 तथा खाता स0 205, 185 में प्रतिवादी स0 1, 2, 10, 11 का नाम कलमजन होगा तथा खाता स0 240 मे प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन होगा। प्रतिवादी स0 10, 11 ने अपना हक वादी, प्रतिवादी स0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है व अन्य जगह भूमि रखी हैं। दावा प्रस्तुत करते समय प्रतिवादी स0 2 व 3 के हाजिर न होने के कारण उन्हे तरतीबी प्रतिवादी बनाया गया है। वह उक्त दावा में वादी बनने की याचना कर सकते है। उक्त बंटवारे के बाद वादी व प्रतिवादी

स0 2 से 3 उक्त बंटवारा में मिली भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है व अपनी भूमि के खातेदार काश्तकार है व मौके पर कब्जा भी उन्हीं का है। वादी की भूमि उसके नाम दर्ज नहीं होने से उसके विधिक अधिकारो पर बेजा असर पड़ता है इसलिए वादी डिक्री इस्तकरार हक इस आशय की विरूद्व प्रतिवादीगण प्राप्ति का अधिकारी है कि वादी अपनी भूमि का खातेदारी काश्तकार है। उक्त बंटवारा के अनुसार वादी ने दिंनाक 07.03.2020 को मुकाम वेहरवाला कलां में प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वादी के हक व हिस्सा तथा कब्जा काश्त की उक्त कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अंकन करवा देवे तो वे ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

दावा बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को तलबी का आदेश दिया गया वादी एंवम प्रतिवादीगण स0 1 से 2 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण स0 3 से 11 ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाव दावा पेश किया राजीनामा होने से वाद में कोई विवादक नहीं बनता है वादी ने अपनी साक्ष्य पेश करनी चाही वा अपना शपथ पत्र साक्ष्य में प्रस्तुत कर दस्तावेज जमाबन्दी वा पैतृक सम्पति के दस्तावेज प्रस्तुत किये है वादी ने अपना शपथ पत्र साक्ष्य में पेशकर साक्ष्य वादी समाप्त की व दावा का निर्णय करने का निवेदन किया।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई वकील वादी ने बहस में दावा में लिखे कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है उसमें वादी व प्रतिवादी स0 2 से 3 का दावा में अंकन अनुसार अधिकार है। दावा में पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है उनका आपस में राजीनामा हो चुका है सभी पक्षकारो ने अनुतोष मुताबिक राजीनामा चाहा है जिसमें किसी की आपति नहीं है सभी दावा के पक्षकारान आपस में सहमत है वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है। अतः वाद वादी डिक्री फरमावे।

उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने वाद पत्र में अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया। सभी पक्षकारो ने राजीनामा पेश कर वाद को स्वीकार करने की सहमति दी है। रिकार्ड में प्रस्तुत दस्तावेज से भूमि पैतृक सम्पति है। पत्रावली पर किसी भी पक्षकार की ओर से असहमति या आपति दावा अनुतोष प्रदान करने के बारे में नहीं है हमारी राय में वाद वादी डिक्री होने योग्य है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा आदेश किया जाता है कि चक स0 654 आर0डी0 के खाता स0 206 में अंकित 1.265 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण स0 1 से 2 तथा 10 से 11 के प्रत्येक के नाम अंकित 1/16 हिस्सा में वादी 0.094 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता स0 205 में अंकित 3.036 हैक्टेयर भूमि में प्रतिगादीगण स0 1 से 2 व 10 से 11 प्रत्येक के नाम अंकित 1/16 हिस्सा में वादी 0.759 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता स0 185 में अंकित 1.518 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम अंकित 0.379 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता स0 240 में अंकित कुल 1.012 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम अंकित 1/4 हिस्सा अर्थात 0.253 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 1.485 हैक्टेयर भूमि का वादी स0 1 खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी स0 2 व 3 चक न0 654 आर.डी. के खाता स0 241 में अंकित कुल 7.084 हैक्टेयर भूमि में से. प्रतिवादी स0 1 से 2 तथा 10 से 11 के नाम अंकित 1.771 हैक्टेयर हिस्सा भूमि में ब0हि0ब0 तथा इसी चक के खाता स0 206 में अंकित कुल 1.265 हैक्टैयर भूमि में प्रतिवादी स0 1 से 2 तथा 10 से 11 के नाम अंकित 0.222 हैक्टेयर भूमि में ब0हि0ब के खातेदार काश्तकार है इस प्रकार चक 654 आर0डी0 के खाता स0 241 तथा खाता स0 206 में प्रतिवादी संख्या 1, 10, 11 का नाम तथा खाता स0 205, 185 में प्रतिवादी स0 1, 2 तथा 10, 11 का नाम कलमजन किया जावे व खाता स0 240 में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

खिवी बगुककगों ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या. प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 85 / 2020

रिशु पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट उम्र 19 वर्ष निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री रणजीत जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गोपीराम पुत्र श्री रणजील जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. श्यामलाल पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. रोशनी देवी पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
5. संतोष पुत्री श्री गोपीराम पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी साहुवाला द्वितीय तहसील चोपटा जिला सिरसा।
6. भीमसैन पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. राधा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. मंजू पुत्री श्री ओमप्रकाश पत्नी सुनील कुमार जाति जाट निवासी 11–12 एस. एल.डब्लयू. तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. शारदा पुत्री श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बेहरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. दयाराम पुत्र श्री रणजीत जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।
11. विद्या देवी पत्नी श्री रणजीत जाति जाट निवासी बेहरवाला खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कताई रोबरू हमारे बहाजरी श्री विकास शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुन्दन लाल प्रतिवादीगण जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है चक स0 654 आर0डी0 के खाता स0 206 में अंकित 1.265 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण स0 1 से 2 तथा 10 से 11 के प्रत्येक के नाम अंकित 1/16 हिस्सा में वादी 0.094 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता स0 205 में अंकित 3.036 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण स0 1 से 2 व 10 से 11 प्रत्येक के नाम अंकित 1/16 हिस्सा में वादी 0.759 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता स0 185 में अंकित 1.518 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम अंकित 0.379 हैक्टेयर भूमि व इसी चक के खाता स0 240 में अंकित कुल 1.012 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी स0 1 के नाम अंकित 1/4 हिस्सा अर्थात 0.253 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 1.485 हैक्टेयर भूमि का वादी स0 1 खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी स0 2 व 3 चक न0 654 आर.डी. के खाता स0 241 में अंकित कुल 7.084 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी स0 1 से 2 तथा 10 से 11 के नाम अंकित 1.771 हैक्टेयर हिस्सा भूमि में ब0हि0ब0 तथा इसी चक के खाता स0 206 में अंकित कुल 1.265 हैक्टैयर भूमि में प्रतिवादी स0 1 से 2 तथा 10 से 11 के नाम अंकित 0.222 हैक्टेयर भूमि में ब0हि0ब के खातेदार काश्तकार है इस प्रकार चक 654 आर0डी0 के खाता स0 241 तथा खाता स0 206 में प्रतिवादी संख्या 1, 10, 11 का नाम तथा खाता स0 205, 185 में प्रतिवादी स0 1, 2 तथा 10, 11 का नाम कलमजन किया जावे व खाता स0 240 में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....X...निल....X.....मुब्लिक..X...निल.......X..बाबत्.........X.....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X..........अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05.01.2021 को जारी किया गया।

कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी